

क्रमांक:प 5(3)नवि/3/99पार्ट

नगराय विकास विभाग (345)

जयपुर, दिनांक: 15 MAR 2017

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास, 1959 की धारा 74, राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2017-18 में घोषणा संख्या 378 में नगर निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने जाने पर देय ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक प्रभावी रहेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास, 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की तरफ बकाया लीज के ब्याज में छूट देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने जाने पर देय ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करती है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक प्रभावी रहेगा।
उक्त रवीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101700696 दिनांक 06.03.2017 के अनुसारण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है-

- (1) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, महोदया, राजस्थान सरकार।
- (2) निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
- (3) निजी सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
- (4) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- (5) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
- (6) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को मुख्यमंत्री महोदया द्वारा उक्त बजट घोषणा के संबंध में आवश्यक छूट आदेश जारी करने हेतु।
- (7) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
- (8) संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, न.वि.वि।
- (9) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
- (10) सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
- (11) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
- (12) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (13) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (14) वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास जो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- (15) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (16) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
- (17) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

(91)